

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शके 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

अध्यादेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 8th October 2015

No. 300-XXI-A(Dr.).—The following Ordinance promulgated by the President of India published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part II Section I, dated the 22nd September, 2015 is hereby republished for general information.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH YADAV, Addl. Secy.

**THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT)
SECOND ORDINANCE, 2015
No. 7 OF 2015**

Promulgated by the President in the Sixty-sixth Year of the
Republic of India.

An Ordinance further to amend the Negotiable Instruments
Act, 1881.

WHEREAS the Negotiable Instruments (Amendment)
Ordinance, 2015 was promulgated by the President on the 15th day of
June, 2015;

AND WHEREAS the Negotiable Instruments (Amendment)
Bill, 2015 to replace the Negotiable Instruments (Amendment)
Ordinance, 2015 has been passed by the House of the People and is
pending in the Council of States;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the
President is satisfied that circumstances exist which render it
necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by
clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to
promulgate the following Ordinance:—

Short title and
commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Negotiable Instruments
(Amendment) Second Ordinance, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 15th day
of June, 2015.

Amendment of
section 6.

2. In the Negotiable Instruments Act, 1881 (hereinafter referred to
as the principal Act), in section 6,—

(i) in *Explanation I*, for clause (a), the following clause shall be
substituted, namely:—

‘(a) “a cheque in the electronic form” means a cheque drawn
in electronic form by using any computer resource and signed in
a secure system with digital signature (with or without
biometrics signature) and asymmetric crypto system or with
electronic signature, as the case may be;’;

(ii) after *Explanation II*, the following *Explanation* shall be
inserted, namely:—

‘*Explanation III*.— For the purposes of this section, the
expressions “asymmetric crypto system”, “computer resource”,
“digital signature”, “electronic form” and “electronic signature”
shall have the same meanings respectively assigned to them in
the Information Technology Act, 2000.’.

21 of 2000.

Amendment of
section 142.

3. In the principal Act, section 142 shall be numbered as sub-
section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered, the
following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction,—

(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or

(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated.

Explanation.—For the purposes of clause (a), where a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then, the cheque shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account.”.

4. In the principal Act, after section 142, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section.

Validation for transfer of pending cases.

“142A. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 or any judgment, decree, order or directions of any court, all cases transferred to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, shall be deemed to have been transferred under this Ordinance, as if that sub-section had been in force at all material times.

2 of 1974.

6 of 2015.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 142 or sub-section (1), where the payee or the holder in due course, as the case may be, has filed a complaint against the drawer of a cheque in the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142 or the case has been transferred to that court under sub-section (1), and such complaint is pending in that court, all subsequent

complaints arising out of section 138 against the same drawer shall be filed before the same court irrespective of whether those cheques were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court.

(3) If, on the date of the commencement of this Ordinance, more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course, as the case may be, against the same drawer of cheques is pending before different courts, upon the said fact having been brought to the notice of the court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, before which the first case was filed and is pending, as if that sub-section had been in force at all material times.”

Ord.6 of 2015.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

भाग ४ (ग)**अन्तिम नियम**

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1854/म.प्र.वि.नि.आ./2015 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप धारा (1) के खण्ड (य घ) तथा (य झ) के साथ पठित धारा 61(ज), 66 तथा धारा 86(1) (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए गए प्रस्तावित प्रारूप विनियमों के संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने और उन्हें समायोजित करने के पश्चात् ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन विनियम, 2015**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-**

- (1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 है (जी-39, वर्ष 2015)
- (2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे ।
- (3) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :-**(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), तथा उसके पश्चात्पूर्वी संशोधन;
- (ख) "करार" से अभिप्रेत है कि वितरण अनुज्ञापिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित करार;
- (ग) "बिलिंग चक्र" से अभिप्रेत है, वह कालावधि, जिसके लिए देयक प्रस्तुत किये जाते हैं;
- (घ) "बिलिंग कालावधि" से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिसके लिए आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नियमित विद्युत् देयक वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उपभोक्ता से विभिन्न प्रकरणों के लिए तैयार किए जाएं;
- (ङ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;
- (च) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसे अनुज्ञापिधारी द्वारा अथवा शासन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विद्युत् प्रदाय के व्यवसाय में संलग्न हो, उसके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत् प्रदाय किया जा रहा हो तथा इसमें सम्मिलित है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका परिसर, यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापिधारी अथवा शासन या ऐसा अन्य व्यक्ति, के कार्यों से तत्समय विद्युत् प्राप्त करने के प्रयोजन से संयोजित हो;
- (छ) "संविदाकृत" भार या "संविदा मांग" या "स्वीकृत भार" से अभिप्रेत है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पीयर या ब्रेक अश्व शक्ति में, जिसके द्वारा प्रदाय हेतु अनुज्ञापिधारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है एवं अनुज्ञापिधारी तथा उपभोक्ता के बीच करार में किया गया है;

- (ज) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" या "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन उसके प्रदाय क्षेत्र में संधारित करने हेतु प्राधिकृत करते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;
- (झ) "विद्युत् प्रदाय संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 तथा उसके पश्चात्वर्ती संशोधन;
- (ञ) "पात्र उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में कोई विद्युत् का उपभोक्ता जो उपभोक्ता परिसर में संस्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का उपयोग, समायोजित (आफसेट) भाग अथवा समस्त उपभोक्ताओं की स्वयं की विद्युत् आवश्यकताओं हेतु करता है, जिसके अनुसार ऐसी प्रणालियों का स्व-स्वामित्व या तृतीय पक्षकार स्वामित्व किया जा सकता है;
- (ट) "वित्तीय वर्ष" या "वर्ष" या "व्यवस्थापन अवधि" से अभिप्रेत है, अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अनुसार अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि;
- (ठ) "अन्तर्संयोजन बिन्दु" से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा प्रणाली का अन्तर्मुख;
- (ड) "बीजक" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक देयक/पूरक देयक या मासिक बीजक/पूरक बीजक;
- (ढ) "के डब्ल्यु पी" से अभिप्रेत है, किलोवाट शीर्ष;
- (ण) "शुद्ध मापन" से अभिप्रेत है ऐसी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत लागू बिलिंग कालावधि के दौरान, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ता से परिसर में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अधिशेष विद्युत् कोई हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् प्रदाय के समायोजन के उपरान्त प्रदान की जाती है;
- (त) "आबन्धित इकाई" से अभिप्रेत है एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबंधन की पूर्ति के आदेशाधीन है तथा जिसकी इन विनियमों के अधीन पहचान की गई है;
- (थ) "परिसर" से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या संरचना या उसका भाग या उसका संयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् के शुद्ध प्रदाय के मापन हेतु पृथक् मापयंत्र (मीटर) या मापन व्यवस्थाएं की गई हैं;

- (द) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र;
- (ध) "नवीकरणीय ऊर्जा मापयंत्र" से अभिप्रेत है कोई मापयंत्र जिसका उपयोग, उपभोक्ता को या उसके द्वारा प्रदाय की गई विद्युत् लेखांकन तथा बिलिंग हेतु किया जाता है, परन्तु उन मापयंत्रों को छोड़कर जो अन्तर्मुख मापयंत्रों के अधीन आते हो;
- (न) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली" से अभिप्रेत है ऐसे स्रोत(ों) से विद्युत् उत्पादन की प्रणाली जिन्हें नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य अभिकरण, जैसा कि शासन/आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत(ों) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;
- (प) किसी अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में "विद्युत्-दर आदेश" से अभिप्रेत है, उक्त अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग द्वारा जारी किया गया नवीनतम आदेश जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् ऊर्जा तथा सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभारित की जाने वाली दरों को उपदर्शित करता है ।
- (2) उन सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु विशेष रूप से यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु राज्य में विद्युत् उद्योग को लागू संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो ऐसी विधि में उसके लिए दिया गया है ।

3. विस्तार तथा लागू होना :-

पात्र उपभोक्ता, शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकेगा जो, -

- (क) निम्न दाब पर 112 किलोवाट तक की अनुज्ञेय वैयक्तिक निर्धारित क्षमता की होगी;
- (ख) उपभोक्ता परिसर में या बहुमंजिला भवनों के प्रकरण में सामान्य सुविधा क्षेत्र में अवस्थित होगी; और
- (ग) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित उपबंधों की पुष्टि करते वितरण अनुज्ञप्तिधारी तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित तथा सुरक्षित ढंग से परिचालित की जाएगी ।

4. साधारण सिद्धान्त :-

वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता को जो उसके प्रदाय क्षेत्र में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने के बारे में आशय प्रकट करता हो, को शुद्ध मापन व्यवस्था के उपबंध, प्रथम आएं प्रथम पाएं आधार पर बिना किसी पक्षपात के परिचालन प्रतिबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रस्तावित करेगा :

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पात्र उपभोक्ताओं को शुद्ध मापन व्यवस्था के उपबंध को ऐसी अवधि तक प्रस्तावित कर सकेगा कि उसकी संचयी क्षमता (मेगावाट में) 10 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता से अधिक न हो:

परन्तु यह और कि उपभोक्ता इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित क्षमता की ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संस्थापित करने की पात्रता रखता हो :

परन्तु यह और भी कि इस प्रयोजन हेतु अधोसंरचना विकास पर किए जाने वाले व्यय, यदि कोई हों, उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

5. वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता :-

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को संयोजित किए जाने के बारे में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा यह जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करेगा::

परन्तु किसी विशिष्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर अनुज्ञेय संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की शीर्ष क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

6. पात्र उपभोक्ता तथा वैयक्तिक परियोजना क्षमता :-

किसी भी परिसर में संस्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता निम्न शर्तों के अध्यक्षीन होगी:-

(एक) उपभोक्ता संयोजनों को अनुमति प्रदान करने हेतु संस्थापित क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 के उपबंधों के साथ संरेखित की जाएगी ।

(दो) तृतीय पक्षकार विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

7. ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन :-

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र(नेटवर्क) से अन्तर्संयोजन, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले वितरण पद्धति से उत्पादित संसाधन विनियमों के संयोजन हेतु तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाएगा । तब तक, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से किसी विशिष्ट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अन्तर्संयोजन, संविदाकृत भार और/या उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधी वोल्टेज स्तर पर मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । पद्धति के आवर्धन से संबंधित समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे :

परन्तु प्रणाली, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) से ग्रिड अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी अर्हताओं की पूर्ति करती हो ।

8. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन :-

- (1) प्रत्येक देयक कालावधि हेतु, अनुज्ञप्तिधारी, पात्र उपभोक्ता द्वारा देयक कालावधि में अन्तःक्षेपित विद्युत् की मात्रा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक कालावधि में प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा, उक्त देयक कालावधि के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान के लिए विद्युत् देयक की नेट मात्रा और आगामी देयक की कालावधि में शुद्ध अग्रेषित विद्युत् की मात्रा, पृथकतः दर्शाई जाएगी ।
- (2) ऐसी परिस्थिति में जब अन्तःक्षेपित विद्युत् की मात्रा खपत की गई विद्युत् से अधिक हो जाती है तो इस प्रकार अन्तःक्षेपित की गई अधिक विद्युत् को आगामी बिलिंग कालावधि में विद्युत् आकलन के रूप में अग्रेषित किया जाएगा तथा भविष्य देयक कालावधियों में शुद्ध अन्तःक्षेपित या खपत की गई विद्युत् के रूप में इसका उपयोग किया जा सकेगा ।
- (3) ऐसे मामलों में, जहां किसी देयक कालावधि के अन्तर्गत विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा, पात्र उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत् से अधिक हो, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी पूर्व देयक कालावधि से बची हुई अवशेष विद्युत् की मात्रा आकलन को मात्रा को विचार में लेकर शुद्ध विद्युत् खपत हेतु बीजक प्रस्तुत करेगा ।
- (4) ऐसे मामलों में, जहां पात्र उपभोक्ता समयानुवर्ती विद्युत्-दर के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, किसी समय-खण्ड में खपत की गई विद्युत् (जैसे कि शीर्ष घंटों, शीर्ष-बाह्य घंटों के दौरान,

- आदि) प्रथमतः उसी समय खण्ड के विद्युत् उत्पादन से ही क्षतिपूर्ति की जाएगी । किसी बिलिंग में अन्य समय खण्ड में कोई संचयी आधिक्य उत्पादन खपत से अधिक हो इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि आधिक्य उत्पादन शीर्ष बाह्य समय खण्ड में घटित हुआ हो ।
- (5) किलोवाट ऑवर में मापी गई आधिक्य विद्युत् का उपयोग किलोवाट ऑवर में ही माप की गई खपत के समायोजन हेतु किया जा सकेगा तथा इसे आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शुल्क तथा प्रभारों की क्षतिपूर्ति हेतु नहीं किया जाएगा ।
- (6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता विद्युत् दर के अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुज्ञेय किए गए किन्हीं अन्य प्रभारों तथा शासन द्वारा अधिरोपित अन्य कर शुल्क उपकर हेतु भी बीजक प्रस्तुत करने का पात्र होगा ।
- (7) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, कोई शुद्ध ऊर्जा आकलन, जो असमायोजित रह जाता है का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को उस वित्तीय वर्ष में खुदरा विद्युत् प्रदाय-दर आदेश में यथा उल्लिखित विद्युत् क्रय की औसत एकीकृत लागत पर किया जाएगा ।
- (8) उपभोक्ता जिसकी अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो गई हो, या जिसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान में चूक की जा रही हो, तो वह समायोजन आकलन की राशि प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।
- (9) देयक संबंधी किसी विवाद की दशा में, इसका निराकरण समय-समय पर यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत् लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

9. नवीकरणीय क्रय आबन्धन :-

किसी पात्र उपभोक्ता द्वारा जो आबन्धित इकाई के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, शुद्ध लागत व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, उपभोग की गई विद्युत् की मात्रा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिए अर्हता होगी ।

10. अन्य प्रमारों का लागू होना :-

शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, चाहे वह स्वयं के स्वामित्व वाली या फिर तृतीय पक्षकार के स्वामित्व वाली हो, जिसे पात्र उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया गया हो, को बैंकिंग, चक्रण तथा प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) से छूट प्राप्त होगी ।

11. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र क्रियाविधि के अन्तर्गत सहभागिता की पात्रता :-

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र, केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा संशोधनों प्रचालन हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2010 तथा उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मापदण्ड के अनुसार जारी किया जाएगा ।

12. मापन व्यवस्था :-

(1) शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा हेतु मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन हेतु मापन व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण विनियम, मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन के अनुसार की जाएगी ।

(2) जब तक शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों बाबत द्वि-दिशात्मक मापयंत्रों (शुद्ध मापयंत्रों) की स्थापना नहीं हो जाती, शुद्ध मापयंत्र जिनकी शुद्धता वर्ग 1.0 या इससे बेहतर हो या फिर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विशिष्टताओं के अनुरूप हों, उपयोग किए जा सकेंगे । ये मापयंत्र, वाचन अभिलेखन हेतु, मापयंत्र वाचन उपकरण अनुपालक या बेतार उपकरण होंगे :

परन्तु, यदि देयक, मापयंत्र वाचन उपकरण के डाऊनलोड के आधार पर तैयार किए जाते हों या फिर मापयंत्र वाचन सुदूर मापयंत्र वाचन के आधार पर लिया जाए तथा उपभोक्ता लिए गए मापयंत्र वाचन का अभिलेख प्राप्त करने का इच्छुक हो तो उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बारे में अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि नवीन/अतिरिक्त मापयंत्रों की लागत, इनकी संस्थापना प्रमारों को सम्मिलित करते हुए, पात्र उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा इनकी संस्थापना भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही की जाएगी । यदि मापयंत्र त्रुटिपूर्ण हो जाए या फिर जल जाए तो उनको वितरण अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा उपभोक्ता की लागत पर बदला जाएगा ।

- (3) संस्थापित मापयंत्रों को दोनों पक्षकारों की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण तथा सील किया जाएगा तथा इनका परीक्षण तथा जांच केवल उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही की जाएगी :

परन्तु यदि पात्र उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर यथा उपलब्ध मापन विशिष्टताओं तथा मापयंत्र की संस्थापना बावत् उपबंधों का अनुसरण करेगा:

परन्तु यह भी कि यदि पात्र उपभोक्ता विद्युत्-दर समयानुवर्ती के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तो वहां समयानुवर्ती खपत/उत्पादन के मापयंत्र का उपयोग किया जाएगा।

- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया गया मापयंत्र वाचन वाणिज्यिक निर्धारण का आधार होगा।

13. शास्ति या क्षतिपूर्ति :-

शुद्ध मापन प्रणाली के विफल हो जाने की दशा में, शास्ति या क्षतिपूर्ति के उपबंध समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2012, में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

14. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा लागू शुल्क :-

- (क) परिसर का उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से उसकी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संयोजित करने हेतु आवेदन, विनियम में यथा संलग्न विनिर्दिष्ट प्ररूपों में पंजीकरण शुल्क राशि रु. 1000/- (अप्रत्यर्पणीय) के साथ संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप को उसकी वेबसाईट पर तथा उसके स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध कराएगा।
- (ख) समस्त प्रकार से परिपूर्ण आवेदन, मय पंजीकरण शुल्क तथा आवश्यक अभिलेखों के प्राप्त होने पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी 21 दिवस के भीतर एक प्राक्कलन तैयार करेगा तथा उपभोक्ता को आवेदन को यथास्थिति स्वीकृत/निरस्त करने, उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि, यदि कोई हो, सहित तथा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करार की प्रति उसे संप्रेषित करेगा।
- (घ) पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त करने तथा करार के सम्यक् रूप से निष्पादन हो जाने के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी, करार को अन्तिम रूप देगा तथा कार्य प्रारंभ कराएगा तथा

यदि इस हेतु कोई विस्तार/आवर्धन कार्य सन्निहित न हो तो 7 दिवस के भीतर उपभोक्ता को संयोजन उपलब्ध कराएगा और अन्य मामलों में 60 दिवस के भीतर ऐसा किया जाएगा।

(ड.) किसी विवाद की दशा में, उपभोक्ता, संबंधित वितरण अनुज्ञापतिधारी के विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।

15. दिशा निर्देश प्रदान करने की शक्ति :-

आयोग, समय-समय पर, ऐसे दिशा-निर्देश तथा आदेश प्रदान कर सकेगा, जैसा कि वह इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु समुचित समझे।

16. छूट प्रदान करने की शक्ति :-

आयोग, स्वप्रेरणा से या फिर उसके समक्ष इच्छुक पक्षकार द्वारा दायर की गई किसी याचिका पर संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

17. संशोधन करने की शक्ति :-

आयोग, समय-समय पर, इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को जोड़ने, बढ़ाने, बदलने, परिवर्तन करने, निलंबित करने, सुधारने, संशोधित करने अथवा निरसित करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

परिशिष्ट**शुद्ध मापन संयोजन हेतु आवेदन का प्ररूप**

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
वितरण अनुज्ञापतिधारी
(कार्यालय का नाम)

मैं, एतद्वारा, विद्यमान सेवा संयोजन पर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी शुद्ध-मापन संयोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन कर रहा हूँ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

अनुक्रमांक	विवरण	
1.	आवेदक का नाम	
2.	आवेदक का पता	
3.	सेवा संयोजन क्रमांक	
4.	दूरभाष/मोबाईल क्रमांक	
5.	ई-मेल आईडी	
6.	संयंत्र क्षमता (किलोवाट में)	
7.	क्या प्रणाली में स्वचालित पृथक्करण सुरक्षा सुविधा उपलब्ध है) (हां/नहीं)	
8.	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया जा चुका है (हां/नहीं)	
9.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की संभावित तिथि	
10.	संयंत्र के परीक्षण प्रमाण-पत्रों के विवरण	

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

शुद्ध मापन संयोजन हेतु एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ

आवेदक का नाम :

सेवा संयोजन क्रमांक :

संयंत्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

आवेदन प्राप्त करने की दिनांक

अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर
पदनाम

Bhopal, the 14th October 2015

No. 1854/MPERC /2015 - In exercise of powers conferred by Section 61(h), 66 and Section 86(1)(e) read with sub-section (I) and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following Regulations relating to Grid Connected Net Metering after considering and incorporating, the objections and suggestions received from various stakeholders in respect of proposed draft regulations published previously as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act, namely :-

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(Grid connected Net Metering) REGULATIONS, 2015

1. **Short title, extent and commencement:-** (1) These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015 (G - 39 of 2015).
 - (2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
 - (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.
2. **Definitions:-**
 - (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and subsequent amendments thereof;
 - (b) "Agreement" means an agreement entered into by the Distribution licensee and the consumer;
 - (c) "Billing cycle" means the period for which bills are raised;
 - (d) "Billing period" means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the licensee;

- (e) **“Commission”** means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Act;
- (f) **“Consumer”** means any person who is supplied electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are, for the time being, connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Distribution Licensee, the Government or such other person, as the case may be;
- (g) **“Contracted load”** or **“contract demand”** or **“sanctioned load”** means the maximum demand in kW, kVA or BHP, agreed to be supplied by the licensee and indicated in the agreement executed between the licensee and the consumer;
- (h) **“Distribution licensee”** or **“licensee”** means a person granted a license under Section 14 of the Act authorizing him to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- (i) **“Electricity Supply Code”** means the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 and subsequent amendments thereof;
- (j) **“Eligible Consumer”** means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who uses a renewable energy system installed in the consumer's premises to offset part or all of the consumer's own electrical requirements, given that such systems can be self-owned or third party owned;
- (k) **“Financial year”** or **“year”** or **“Settlement Period”** means the period beginning from first day of April as per English calendar year and ending with the thirty first day of the March of the next year;
- (l) **“Interconnection point”** means the interface of renewable energy generation facility system with the network of distribution licensee;
- (m) **“Invoice”** means a Monthly Bill / Supplementary bill or a Monthly invoice/Supplementary invoice raised by the distribution licensee;
- (n) **“kWp”** means kilo Watt peak;
- (o) **“Net metering”** means an arrangement under which renewable energy system installed at eligible consumer's premises delivers surplus electricity, if any, to the Distribution Licensee

after off-setting the electricity supplied by the Distribution Licensee during the applicable billing period;

- (p) **“Obligated Entity”** means the entity mandated under clause (e) of subsection (1) of section 86 of the Act to fulfill the renewable purchase obligation and which is identified under Regulations;
- (q) **“Premises”** means any land, building or structure or part thereof or combination thereof for which a separate meter or metering arrangements has been made by the licensee for measurement of net supply of electricity;
- (r) **“Renewable Energy Certificate (REC)”** means the certificate issued in accordance with the procedures approved by the Central Electricity Regulatory Commission;
- (s) **“Renewable Energy Meter”** means a meter used for accounting and billing of electricity supplied to and from the consumer but excluding those covered under interface meters;
- (t) **“Renewable Energy System”** means the system to generate electricity from such source(s) which are recognized as renewable energy source(s) by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India or any other agency as may be notified by the Government / Commission;
- (u) **“Tariff Order”** in respect of a licensee means the most recent order issued by the Commission for that licensee indicating the rates to be charged by the licensee to the various categories of consumers for supply of electrical energy and services.

(2) The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act, but defined under any law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State, shall have the same meaning as assigned to them in such law.

3. Scope and Application

The eligible consumer may install the renewable energy system under net metering arrangement which,

- a) Shall be up to the permissible individual rated capacity of 112 kW at LT;
- b) Shall be located in the consumer premises or common facility area in case of multi storied buildings; and

- c) Shall interconnect and operate safely with the Distribution Licensee network conforming to the relevant provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

4. General Principles

The Distribution licensee shall offer the provision of net metering arrangement to the consumer, who intends to install grid connected renewable energy system, in its area of supply on non-discriminatory and first come first serve basis, subject to operational constraints.

Provided that the Distribution licensee may offer the provision of net metering to the eligible consumers for such period that the cumulative capacity (in MW) does not exceed the target capacity of 10 MW:

Provided further that the consumer is eligible to install the grid connected renewable energy system of the rated capacity as specified under these Regulations;

Provided also that the expenses, if any, incurred on the infrastructure development for such purposes are required to be borne by the consumer:

5. Capacity of Distribution Transformer:-

The Distribution Licensee shall update distribution transformer level capacity available for connecting renewable energy systems under net metering arrangement on yearly basis and shall provide the information on its website.

Provided that the cumulative capacity allowed at a particular distribution transformer shall not exceed 15% of the peak capacity of the distribution transformer.

6. Eligible Consumer and individual project capacity :- The capacity of Renewable Energy System to be installed at any premises shall be subject to the following conditions:-

- (i) The installed capacity shall be aligned with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.

(ii) Third party sale shall not be allowed.

7. Interconnection with the Grid

The interconnection of the renewable energy system with the network of the Distribution licensee shall be made as per the technical standards for connectivity of distributed generated resources Regulations to be notified by the Central Electricity Authority. Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a particular capacity, with the network of the Distribution licensee, shall be made on the contracted load and/or respective voltage level applicable to the consumer as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013. All the cost related to augmentation shall be borne by the consumer.

Provided that the system fulfils the technical requirements for grid interconnection with the network of the distribution licensee.

8 Energy Accounting and Settlement :-

- (1) For each billing period, the licensee shall show the quantum of injected electricity by eligible consumer in the billing period, quantum of electricity supplied by the Distribution licensee in the billing period, net billed quantum of electricity for payment by the consumer for said billing period and net carried over quantum of electricity to the next billing period separately;
- (2) In the event of the quantum of electricity injected exceeds the electricity consumed during the billing period, such injected excess electricity shall be carried forward to the next billing period as electricity credit and may be utilized to calculate net electricity injected or consumed in future billing periods.
- (3) In such case where the electricity supplied by the Distribution licensee during any billing period exceeds the electricity generated by the eligible consumer's renewable energy system, the Distribution licensee shall raise invoice for the net electricity consumption after taking into account any electricity credit balance remaining from previous billing periods.

- (4) In such case where the eligible consumer is under the ambit of time of day tariff, as determined by the Commission from time to time, the electricity consumption in any time block (e.g. peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the same time block. Any cumulated excess generation over consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess generation occurred during the off-peak time block.
- (5) The excess electricity measured in kilo-watt hour may only be utilized to offset the consumption measured in kilo-watt hour and may not be utilized to compensate any other fee and charges imposed by the Distribution licensee as per the instructions of the Commission.
- (6) The Distribution licensee in addition to consumer tariff shall be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission and any tax/duty/cess imposed by the Government.
- (7) At the end of the each financial year, any net energy credit which remains unadjusted shall be paid by the Distribution licensee to the eligible consumers at the average pooled cost of power purchase as mentioned in the retail supply tariff order of that financial year.
- (8) The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or receiving the amount of he is not setting his dues to the licensee, shall not be entitled to receive due amount of the adjustment/credit.
- (9) In case of any dispute in billing it shall be settled under the provisions of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision - I) Regulations, 2009 as amended from time to time.

9. Renewable Purchase Obligation :-

The quantum of electricity consumed by the eligible consumer, who is not defined as obligated entity, from the renewable energy system under net metering arrangement shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the Distribution licensee.

10. Applicability of other charges :-

The renewable energy system under net metering arrangement, whether self-owned or third party owned installed on eligible consumer premises, shall be exempted from banking, wheeling and cross subsidy.

11. Eligibility to Participate under Renewable Energy Certificate Mechanism :-

The issuance of renewable energy certificate shall be as per the eligibility criteria specified under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof;

12. Metering Arrangement :-

- (1) The metering system under net-metering arrangement for renewable energy the installation and operation of meters shall be as per the CEA Regulations of installation & operation of Meters;
- (2) Until such time bi-directional meters (net meters) are installed for renewable energy systems under net-metering arrangement, the net meters which may be used shall be of accuracy class 1.0 or better or as per the specifications notified by the CEA. These meters shall be Meter Reading instrument (MRI) compliant or wireless equipment for recording meter readings:

Provided that if bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter-reading and the consumer wishes to have a record of the reading taken, he shall be allowed so by the licensee.

Provided further that the cost of new/additional meter (s) including installation charges thereof shall be borne by the eligible consumer and these are also installed by the Distribution licensee. In case the meter becomes defective or burnt, the same shall be replaced by the Distribution licensee at the cost of the consumer.

- (3) The meters installed shall be jointly inspected and sealed on behalf of both the parties and shall be tested or checked only in the presence of the consumer and representatives of the Distribution licensee:

Provided that the eligible consumer shall follow the metering specifications, and provisions for placement of meter as provided by the Distribution licensee from time to time:

Provided further that in case the eligible consumer is under the ambit of time of day tariff, meters compliant of time of day consumption/generation shall be employed.

- (4) The meter reading taken by the Distribution licensee shall be the base of commercial settlement.

13. Penalty or Compensation

In case of failure of net metering system, the provisions of penalty or compensation shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) (Revision-II) Regulations, 2012 as amended from time to time.

14. Processing of application and applicable fee:-

- (a) The consumer of the premises shall submit the application to connect its renewable energy system to the distribution system of the licensee in the specified form as annexed to the Regulation along with registration fee of Rs. 1000 (non-refundable) at the local office of the concerned Distribution licensee. The Distribution licensee shall make the form available on its website and at its local offices.
- (b) On receipt of application complete in all respect along with registration fee and necessary documents, the Distribution licensee shall acknowledge the application.
- (c) Within 21 days, the Distribution licensee shall prepare the estimate and communicate to the consumer the sanction/rejection of the application, as the case may be, along with amount, if any, to be deposited by the consumer and the copy of agreement to be executed by the consumer.

- (d) On receipt of full payment and the agreement duly executed, the Distribution licensee shall finalise the agreement and take up the work and provide connectivity to the consumer within 7 days if no extension/augmentation work is involved and within 60 days in other cases.
- (e) In case of any dispute, the consumer may approach to the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum of the concerned Distribution licensee.

15. Power to give directions:-

The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for the implementation of these Regulations.

16. Power to relax:-

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on a petition filed before it by an interested person.

17. Power to amend:-

The Commission may from time to time make procedure to add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

By order of the Commission,
SHAIENDRA SAXENA, Commission Secretary.

Annexure**Format for application for a net metering connection**

To

The Executive Engineer,
Distribution licensee
(Name of the Office)

I herewith apply for a renewable energy net-metering connection at the existing service connection and for the renewable energy plant of which details are given below:

S.No.	Particulars	
1.	Name of applicant	
2	Address of applicant	
3	Service connection number	
4	Telephone/Mobile number (s)	
5	Email ID	
6	Plant capacity (in kilo Watts)	
7	Whether the system has automatic isolation protection (Y/N)	
8	Has a separate renewable energy generation meter been installed (Y/N)	
9	Expected date of commissioning of the renewable energy system	
10	Details of test certificates of the plant	

Date :

Signature of applicant

Acknowledgement

Received an application for a net metering connection from

Name of applicant:

Service Connection number:

Plant capacity:

Application registration number:

Date of receipt:

Name and Signature of Officer
Designation.....

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, भोपाल- 462016

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

क्रमांक 1875/म.प्र.वि.नि.आ./2015 - विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 50 एवं धारा 56 के साथ पठित मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 9 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में प्रथम संशोधन

[एआरजी-1(I)(i) वर्ष 2015]

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ: 1.1 यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 [क्रमांक एआरजी-1 (I)(i) वर्ष 2015]" कहलायेगी ।
- 1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी ।
- 1.3 यह संहिता संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी ।

उक्त संहिता में,-

2. खण्ड 4.8 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"4.8 विद्युत ऊर्जा के नवीन प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथाअपेक्षित प्ररूप में, दो प्रतियों में अध्यपेक्षा की जाएगी जिसकी प्रतियां अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में व्यय पर उपलब्ध होंगी । उपभोक्ताओं द्वारा खाली प्ररूप की छायाप्रतियों का या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्ररूपों का उपयोग भी किया जा सकता है और जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा । अध्यपेक्षा अनुज्ञप्तिधारी के पोर्टल पर दिए गए प्ररूप में ऑनलाईन भी की जा सकती है। विनिर्दिष्ट आवेदन पत्रों में किया गया कोई भी पश्चात्वर्ती परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को तत्परता से सम्यक् रूप से सूचित किया जाएगा ।" ।

3. खण्ड 4.43 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“4.43 कोई व्यक्ति जिसे अस्थाई प्रकृति के प्रयोजन हेतु विद्युत् प्रदाय की आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथाअपेक्षित प्ररूप में दो वर्ष से कम की कालावधि के लिये अस्थाई विद्युत् प्रदाय के लिए आवेदन कर सकता है । अस्थाई संयोजन की कालावधि भवन निर्माण/ऊर्जा संयंत्रों तथा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रयोजन के लिए पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है । 10 किलोवाट तक के भार के लिए अस्थाई प्रदाय के लिए अध्यक्ष साधारणतया उस दिन से जब से कि प्रदाय अपेक्षित हो, 7 दिन पूर्व तथा उपरोक्त भारों से अधिक भार के लिए 30 दिन पूर्व दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में निर्माण प्रयोजनों के लिए स्थाई संयोजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।” ।

4. खण्ड 4.58 में, शब्द “विनिर्दिष्ट” के स्थान पर, शब्द “अपेक्षित” स्थापित किया जाए ।
5. खण्ड 7.3 में, शब्द “विनिर्दिष्ट प्ररूप” के स्थान पर, शब्द “अपेक्षित प्ररूप” स्थापित किए जाएं ।
6. खण्ड 7.10 से 7.14 तक के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“7.10 उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी आवेदन, उसके द्वारा अपेक्षित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । एल.टी. संयोजन के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किए जाने को अनुज्ञात करने के पूर्व, उपभोक्ता द्वारा किसी सक्षम अनुज्ञप्त विद्युत् ठेकेदार से, परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत की जाएगी ।

7.11 संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :-

- (क) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में उल्लिखित कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन को स्वीकृत करेगा अथवा आवेदन पर विचार न किए जाने के कारणों को आवेदक को 15 दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में सूचित करेगा;
- (ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लिखित 15 दिवस की कालावधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना देकर उसका ध्यान मामले की ओर दिला सकेगा तथा यदि तब भी 15 दिवस की कालावधि के भीतर निर्णय संसूचित नहीं किया

जाता है तो संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी अनुमति प्रदान कर दी गई समझी जाएगी, जो ऐसी सूचना की कालावधि का अवसान होने के उपरान्त आगामी कार्य दिवस से प्रभावी होगी;

(ग) उस दशा में, जहां कि संविदा मांग में कमी अनुज्ञात कर दी गई है, वहां वह उस माह के आगामी माह के प्रथम दिन से प्रभावशील होगी जिसमें संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी निर्णय संसूचित किया गया हो ।

7.12 यदि उपभोक्ता ऐसी वांछा करे तो अनुबंध की प्रारंभिक कालावधि के दौरान संविदा मांग में एक बार कमी अनुज्ञात की जाएगी । संविदा मांग में कमी, आवेदन प्रस्तुत करते समय लागू करार के अनुसार संविदा मांग के, 50% तक ही सीमित रहेगी :

परन्तु संविदा मांग में अनुरोध की गई कमी इस संहिता के अध्याय 3 में किसी विशिष्ट श्रेणी के वोल्टेज के लिए, यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं होगी । एक बार भुगतान किए गए विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभार तथा लागू अन्य प्रभार वापसी योग्य नहीं होंगे ।

7.13 अनुबंध की प्रारंभिक कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, उपभोक्ता, अपने संयोजन की संविदा मांग में, इस संहिता में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्ट श्रेणी के वोल्टेज हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक, कमी किए जाने के लिए हकदार होगा । संविदा मांग में कमी किए जाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती अनुरोध, संविदा मांग में ऐसी कमी प्रभावशील हो जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् भी, अनुज्ञप्तिधारी को किया जा सकेगा ।

7.14 जब संविदा मांग में कमी पर सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक अनुपूरक करार निष्पादित करेगा । संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी प्रभाव को अनुपूरक करार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् उपभोक्ता को, अनुपूरक करार में उल्लिखित तारीख से लागू कर देयक में अन्तरित कर दिया जाएगा ।” ।

7. खण्ड 7.16 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“7.16 उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किए जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों/विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का प्रतिदाय प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी । तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किए जाने के पश्चात् पुनः संविदा मांग में वृद्धि की मांग करता है, तो ऐसी दशा में उसे उन विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जो कि ऐसा अनुरोध करते समय लागू थे ।” ।

8. खण्ड 10.2.3.1 में, शीर्षक "एच-प्रति दिवस विद्युत प्रदाय घण्टों का उपयोग" के अधीन, मद क्रमांक (एफ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

" (एफ) कृषि 10 घन्टे।"।

9. खण्ड 10.2.3.4 में, विद्यमान मद एच के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"एच = कृषि संयोजनों हेतु 10 घन्टे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जाएगा।"।

10. इस संहिता से संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 का लोप किया जाए।

11. संहिता के खण्ड 6.38 में, हिन्दी पाठ में, शब्द "अनुमोदित किए गए" का लोप किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, 15th October, 2015

No. 1875/MPERC/2015- In exercise of the powers conferred by Section 50 and Section 56 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with clause (j) of section 9 of the Madhya Pradesh Vidut Sudhar Adhinyam 2000 (No. 4 of 2001), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, namely:-

First Amendment to Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013.

[ARG-1(I)(i) of 2015]

1. **Short Title and Commencement-** 1.1 This Code shall be called Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 (First Amendment) [ARG-1(I)(i) of 2015]."

1.2 It shall extend to the whole of the State Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of their publications in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

In the said Code,-

2. for clause 4.8, the following clause shall be substituted, namely :-

"4.8 Requisition for a new supply or an additional supply of electrical energy shall be made in duplicate in the Form as required by the Licensee, copies of which shall be available at a cost from the local office of the licensee. Photocopies of a blank Form or Form downloaded from the website of the licensee may also be used by the consumer and shall be accepted by the Licensee. The requisition can also be made on line in the format on the portal of licensee. Any subsequent change in the specified application Forms shall be duly informed by the Licensee to the Commission promptly."

3. for clause 4.43, the following clause shall be substituted, namely :-

"4.43 Any person requiring power supply for the purpose that is temporary in nature, may apply for temporary power supply for a period of

less than two years in the Form as required by the Licensee. The period of temporary connection can be extended up to five years for construction of buildings/power plants and for the purpose of setting up of industrial units. Requisition for temporary supply shall normally be given 7 days before the day when supply is required for loads up to 10kW and 30 days before for higher the said loads. Under no circumstances, permanent connection be allowed for construction purposes."

4. in clauses 4.58 for the word "specified", the word "required" shall be substituted.
5. in clause 7.3 for the words "the specified form", the words "required format" shall be substituted.
6. for clauses 7.10 to 7.14 the following clauses shall be substituted, namely :-

"7.10 Application for reduction in Contract Demand shall be submitted in duplicate to the Licensee in the format required by the Licensee. A test report from a competent Licensed Electrical Contractor in case of LT connection shall be submitted by the consumer before reduction in Contract Demand is allowed by the Licensee.

7.11 On receipt of application for reduction in contract demand, the following steps shall be taken by the licensee:-

- (a) The licensee shall consider the grounds stated in the application and allow the application or convey the reasons to the applicant for non-consideration in writing within a period of 15 days;
- (b) If the application is not decided by the licensee within above mentioned period of 15 days, the consumer may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within a further period of 15 days, the permission of reduction of contract demand shall be deemed to have been granted with effect from the next working day after expiry of period of such notice;
- (c) In case the reduction in contract demand is allowed, the same shall take effect from the first day of the month following the

month in which the decision for reduction in contract demand is communicated.

7.12 If the consumer so desires, one time reduction in the contract demand shall be allowed within the initial period of agreement. The reduction in contract demand shall be limited to 50% of the contract demand as per agreement in force at the time of making application:

Provided that the requested reduction in contract demand shall not be less than the specified minimum contract demand for a particular voltage class as specified in Chapter 3 of this Code. Supply Affording Charges and other applicable charges once paid shall not be refunded.

7.13 After the expiry of the initial period of agreement, the consumer shall be entitled to reduce contract demand of his connection limited to the minimum contract demand for a particular voltage class as specified in this Code. Any subsequent request for reduction in contract demand can also be made to the licensee after expiry of at least one year from the date of effect of such reduction in contract demand.

7.14 When reduction of contract demand is agreed to, the consumer shall execute a supplementary agreement. The effect of reduction in contract demand in the bills with effect from the date as mentioned in the supplementary agreement shall be passed on to the consumer after finalisation of supplementary agreement by the licensee."

7. for clause 7.16, the following clause shall be substituted, namely :-

"7.16 The consumer shall not be entitled to get refund of new connection charges/supply affording charges on account of such reduction in contract demand. However, if the consumer subsequently after reduction in contract demand requires enhancement of the contract demand again, he shall be required to pay supply affording charges etc. as applicable at the time of such request."

8. In clause 10.2.3.1, under the heading 'H is use of supply hours per day' for item number (f), and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"(f) Agriculture 10hrs."

9. In clause 10.2.3.4, for existing item H, the following item shall be substituted, namely:-
"H=10 hours for agriculture connections and 12 hours for others".
10. Annexure 1 and 2 appended to this Code shall be omitted.
11. In clause 6.38 of the Code, in Hindi version, the words "अनुमोदित किए गए" shall be omitted.

By order of the Commission,
SHAIENDRA SAXENA, Commission Secretary.